न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 09/2021 (83/2017)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सोहनलाल पुत्र गणेशराम जाति माली निवासी मोलसर बास ताउसर तहसील व जिला नागौर।		1भंवरलाल पुत्र श्रीकिशन जाति कच्छावाह माली निवासी मोलसर बास, ताउसर तहसील व जिला नागौर। 2ग्राम पंचायत ताउसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ताउसर तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति–

1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 09.03.2021

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ताउसर द्वारा प्रस्ताव दिनांक 05.01.2009 जिसके द्वारा पटटा सं. 11/2008–09 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 02.11.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.12.2017 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात दिनांक 24.09.2019 को प्रार्थी व उसके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से दिनांक 24.09.2019 को निगरानी अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज की गई। जिस पर अप्रार्थी के अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.09.19 बाबत रेस्टोरेशन प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वकील अप्रार्थी सं. 1 द्वारा 25.09.19 को प्राप्त की गई। मगर वो पैरवी हेतु उपस्थित नही हुए। प्रकरण मे अप्रार्थी सं. 2 का नोटिस दिनांक 17.03.2020 की तारीख पेशी का तामील के बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहा है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में विकास अधिकारी पंचायत समिति नागौर के पत्र दिनांक 13.9.17 की फोटोप्रति, जांच रिपोर्ट की फोटोप्रति, मिसल सं. 9/2008–09 की फोटोप्रति तथा पटटा सं. 11 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)–प्रस्ताव व पटटा जैर निगरानी खिलाफ कानून एवं तथ्यो की स्थितियो तथा मौके की स्थिति के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

2(2)–विवादित भूमि आबादी भूमि नही है बल्कि राजस्व भूमि है। जो किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार मे नही आती है। ऐसी स्थिति मे राजस्व भूमि के संबंध मे पटटा जारी करने का ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है। विवादित भूमि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 442 का भाग है। किसी भी प्रकार से आबादी भूमि का भाग नही है। राजस्व की भूमि है। जो प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि है। जिसका स्वामित्व ग्राम पंचायत मे निहित नही करता है। ग्राम पंचायत तो केवल स्वयं के स्वामित्व व स्वयं मे निहित आबादी भूमि का पटटा जारी करने का अधिकार हैं। किसी अन्य के स्वामित्व व राजस्व भूमि का पटटा जारी करने का अधिकार नही है। ऐसी स्थिति मे प्रस्ताव पटटा जैर निगरानी अवैध व गलत तरीके से अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किये गये है। जो विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

2(3)–ग्राम पंचायत ताउसर द्वारा आबादी भूमि के निस्तारण हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अन्तर्गत जो नियम 141 से 160 तक दिये गये है। उनमे से किसी भी नियम की कोई पालना नही की है तथा संपूर्ण कार्यवाही दिये गये नियमो के विपरीत जाकर की गई है। इसलिये भी प्रस्ताव एवं पटटा जैर निगरानी नियमो के विपरीत जाकर पारित किया गया होने से विधि सम्मत नही होने के कारण निरस्तनीय है।

2(4)–आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर करने का आदेश दिया जाता है तथा स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचो की समिमि नियुक्ति हेतु पत्रावली आगामी बैठक मे रखी जानी आवश्यक है तथा 15 दिवस के भीतर भीतर स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश की जानी आवश्यक है। प्रस्तुत पत्रावली मे दिनांक 05.06.2008 को मौका देखना बताया गया। जो 15 दिवस के भीतर नही देखा गया तथा रिपोर्ट ग्राम सेवक द्वारा बनानी बतायी गयी तथा उक्त रिपोर्ट दिनांक 05.05.08 को पत्रावली मे पेश होना व उसी दिन एक दिन की मयाद का आपति नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। नोटिस मे क्रमांक अंकित नही है तथा कब चस्पा किया गया। इसका भी कोई अंकन नही है। नियम 148 के अनुसार नोटिस दो प्रतियो मे जारी किया जाना आवश्यक होता है। जिसमे से एक प्रति

अपर कलक्टर, नागौर

प्रस्तावित भूमि पर व दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण मे आपति नोटिस किनसे सक्षम चस्पा किया गया। इसका कोई अंकन नही है। साथ ही बिना प्रक्रिया की पालना किये प्रस्ताव व पटटा जारी करने का आदेश पारित किया गया है एवं पटटे पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर भी नही है तथा भूमि के पडोस भी गलत दर्ज किये है तथा नियमानुसार संपूर्ण प्रक्रिया की पालना किये बिना सारी कार्यवाही कर प्रस्ताव व पटटा जारी किया गया है। जो विधिक प्रावधानो व नियमो के विपरीत जाकर गलत पटटा जारी किया गया है। इसलिये भी प्रस्ताव व पटटा जैर निगरानी निरस्तनीय है।

3– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा पटटा सं. 11/2008–09 जिसमे प्रस्ताव दिनांक 05.01.2009 को अप्रार्थी भंवरलाल पुत्र श्रीकिशन को पटटा सं. 11 दिनांक 05.01.2009 जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रकरण मे प्रस्तुत ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत ताउसर की रिपोर्ट के अनुसार पटवारी व आरआई द्वारा ग्राम ताउसर के खसरा नं. 442 व 446 (आबादी भूमि) सीमाकंन करवाया। जिसमे अप्रार्थी सं. 1 को जारी पटटा सं. 11 पटटा बुक सं. 58 मे दर्ज नक्शे अनुसार एवं अप्रार्थी भंवरलाल द्वारा मिसल सं. 9 मे प्रस्तुत ब्लू प्रिन्ट नक्शे का नाप चोप किये जाने पर प्रश्नगत पटटे से संबंधित भूमि मे से 20 गुणा 50 फुट की भूमि ग्राम ताउसर के मोहल्ला मोलसर के आबादी खसरा नं. 446 का भाग है एवं शेष भाग 47 गुणा 50 फुट खसरा नं. 442 का भाग होना पाया गया है। खसरा नं. 442 आबादी भूमि नही होकर राजस्व की भूमि है। जहां ग्राम पंचायत को पटटा देने का अधिकार नही है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत पटटा एवं प्रस्ताव आंशिक रूप से राजस्व भूमि का होने से जैर निगरानी मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम पंचायत ताउसर की बैठक के प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 05.01.2009 के द्वारा मिसल सं. 9/2008–09 भंवरलाल पुत्र श्रीकिशन माली को पटटा जारी करने से संबंधित प्रस्ताव एवं पटटा खसरा नं. 442 मे स्थित 37 गुणा 50 फुट भूमि की सीमा तक निरस्त किया जाता है। शेष आबादी सीमा खसरा नं. 446 मे स्थित भूमि 20 गुणा 50 फुट के संबंध मे प्रस्ताव व जारी पटटा यथावत कायम रखा जाता है।

5– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर